"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2013—श्रावण 16, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. शीर्षक "एक-सामान्य प्रशासन विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 92 में, शब्द "खेलकूद" को विलोपित किया जाये.

2. शीर्षक "एक-सामान्य प्रशासन विभाग" के अंतर्गत भाग (उ) "ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय" के सरल क्रमांक 1 में शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड." को विलोपित किया जाये.

3. शीर्षक "नौ-खेल और युवा कल्याण विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 20 के पश्चात्, शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "21. खेल कूद एवं उससे संबंधित समस्त कार्य." अन्त:स्थापित किया जाये.

4. शीर्षक "नौ-खेल और युवा कल्याण विभाग" के अंतर्गत भाग (उ) "ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय" के सरल क्रमांक 3 के पश्चात्, शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "4. छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मण्डल." अन्त:स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2013/1/एक, दिनांक 06-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 6th August 2013

NOTIFICATION

No. F 1-1/2013/1/One.—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

1. Under the heading "I- General Administration Department" in serial number 92 of Part (A) "Matters of policy dealt within the Department:", the word "sports" shall be omitted.

2. Under the heading "I- General Administration Department" in serial number 1 of Part (E) "Other Institutions and Bodies not covered under (D) above:", the words, number and punctuation "1. Madhya Pradesh Civil Services Sports Control Board." shall be omitted.

3. Under the heading "IX- Sports And Youth Welfare Department" after serial number 20 of Part (A) "Matters of policy dealt within the Department.", the words, number and punctuation "21. Staff Welfare including sports." shall be inserted.

4. Under the heading "IX- Soprts And Youth Welfare Department" after serial number 3 of Part (E) "Other Institutions and Bodies not covered under (D) above:", the words, number and punctuation "4. The Chhattisgarh Civil Services Sports Board." shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.